

राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. शोकाभिव्यक्ति

वैद्य श्री गोविन्द सहाय, सदस्य, तीसरी, छठी एवं नवीं विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनार्यें

वित्त विभाग

बीना काक, पर्यटन मंत्री वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगी :-

- 1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-09 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-10 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-11 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत किसी विद्यालय को उसकी प्रयोगशाला के उपयोग के लिये गये उपस्करों को 4 प्रतिशत से अधिक वैट दर कर पर छूट दी गई है ;
- 4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-12 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्रीय वहिःस्त्राव शोधन संयंत्र के उपस्करों और उसके प्रचालन के लिये रसायनों के विक्रय को सशर्त छूट दी गई है ;
- 5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-13 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची-4 में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-14 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची-5 में संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-15 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची-6 में संशोधन किया गया है ;

..2..

- 8- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-16 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-80 दिनांक 25.2.2008 को तुरन्त प्रभाव से विखंडित किया गया है ;
- 9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-17 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-6 के अन्तर्गत उपयोग में लाई गई मोटर कार के विक्रय के संबंध में सदेय कर की दर इंजन क्षमता 1000 सीसी व 1000 सीसी से अधिक पर क्रमशः 2000 व 5000 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है ;
- 10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-18 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-6(1) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित कर नई अधिसूचना जारी की गई है ;
11. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-19 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत इस निमित्त जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए कतिपय शर्तों के अधीन प्रति ट्रक संदेय कर पर छूट प्रदान की गई है ;
12. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-20 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8 के अन्तर्गत साबुन, ईटें, लोहे या स्टील या लकड़ी के फर्नीचन और मार्बल, कोटा स्टोन, वलुआ पत्थर के उत्पादों को छोड़कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था, सहकारी सोसाईटी या किसी विशिष्ट द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय को सशर्त कर में छूट दी गई है ;
13. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-21 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-79 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेखित वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है ;
14. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-22 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-79 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना में उल्लेखित माल की सूची जारी की गई है ;
15. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-23 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-79 (2) के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अतिष्ठित कर अधिसूचना में वर्णित माल को अधिसूचित किया गया है ;
16. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-24 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 की धारा-79 (2) के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अतिष्ठित कर अधिसूचना में वर्णित माल को अधिसूचित किया गया है ;
17. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-25 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
18. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-26 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
19. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-27 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा पेट्रोलियम कम्पनियों के खुदरा आउटलेट वाले या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी जो अनन्य रूप से छूट प्राप्त माल में व्यवहार करते हैं, के मामले में लेखाकार द्वारा संपरीक्षित लेखों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा से अभिमुक्त किया गया है ;

20. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-28 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा घरेलू उपयोग के लिये लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस को सशर्त संदेय कर से दिनांक 6.9.2008 से छूट दी गई हैं ;
21. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-29 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(14)वित्त/कर/2006-141 दिनांक 08.3.2006 को अतिष्ठित करते हुए होटलों वासों में उपलब्ध कराये गये विलासों में कर की दर निर्धारित की गई है ;
22. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-30 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/2008-104 दिनांक 17.3.2008 को अतिष्ठित करते हुए स्टाम्प शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है ;
23. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-31 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/2003-110 दिनांक 14.1.2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
24. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-32 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित निकायों द्वारा सशर्त आवासीय भूखण्डों के पट्टे या विक्रय के संबंध में संदेय शुल्क घटाया गया है ;
25. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-33 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा जयपुर व अन्य स्थानों पर महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा डी.एल.सी. की दरें निर्धारित की गई हैं ;
26. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-34 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधित किया गया है ; एवं
27. अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-35 दिनांक 08.7.2009 जिसके द्वारा अधिसूचना में वर्णित सारणी के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिये संदेय कर की दर को 1.4.2009 से घटाया गया है ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के खान श्रमिकों को ई.एस.आई. सुविधा उपलब्ध कराने बाबत ई एस आई औषधालय खोलने हेतु एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(II) श्री मेवाराम जैन, सदस्य विधान सभा ग्राम पंचायत मुख्यालय गरडीया, जिला - बाड़मेर में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

5. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

<u>क्र.सं.</u>	<u>मांग संख्या</u>
1.	28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम
2.	50- ग्रामीण रोजगार
3.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे ।)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 21 जुलाई, 2009